संख्या-164 जे0एल0/22-3-2024-164/2024

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 26-04-2024

विषय:- जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी धनन्जय सिंह पुत्र श्री राजदेव सिंह को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-11361/सामा-1(5)/जौनपुर/ 2024, दिनांक 26-04-2024 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी धनन्जय सिंह पुत्र श्री राजदेव सिंह, निवासी-ग्राम-मेंहदी, पोस्ट-मनशिल, थाना-सिकरारा, जनपद-जौनपुर को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार, बरेली स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर/बरेली।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जौनपुर/बरेली।

6-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली/जिला कारागार, जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, जौनपुर से केन्द्रीय कारागार, बरेली में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शुद्धि पत्र

संख्या-164(1) जे0एल0/22-3-2024-164/2024

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 26-04-2024

विषय:- जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी धनन्जय सिंह पुत्र श्री राजदेव सिंह को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-164जे0एल0/22-3-2024-164/2024, दिनांक 26-04-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी धनन्जय सिंह पुत्र श्री राजदेव सिंह के निवास स्थान का पता ग्राम-बनसफा, थाना-सिकरारा, जनपद-जौनपुर के स्थान पर त्रुटिवश ग्राम-मेंहदी, पोस्ट-मनशिल, थाना-सिकरारा, जनपद-जौनपुर अंकित हो गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत बंदी के निवास का पता ग्राम-बनसफा, थाना-सिकरारा, जनपद-जौनपुर पढ़ा/समझा जाय। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 26-04-2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष यथावत रहेगा।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर/बरेली।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जौनपुर/बरेली।
6-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली/जिला कारागार, जौनपुर।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।